अध्याय – XII निष्कर्ष

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना इस राज्य मे प्रांरभिक रूकावट के बाद धीरे–धीरे गति पकड़ रहा है। तकनीकि सहयोग तथा गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय स्थापित नहीं किए गए थे तथा अधिकृत प्रत्योचित अभियंताओ की सूची मनरेगा योजना को सशक्त ढंग से लागू करने के लिए तैयार नहीं किए गए थे।

योजना के प्लानिंग, क्रियान्वयन, निधि प्रबंधन, शिकायत निपटान व्यवस्था, अनुश्रवण तथा मनरेगा कार्यों को लागू करने हेतु प्रषिक्षण में कमियाँ पाई गई। दीर्घकालीन जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किए गए थे तथा वार्षिक कार्ययोजना अत्यधिक विलम्ब से तैयार किए गए थे। आगे, प्लान, श्रमिक प्रक्षेपण तथा मांग पूरा करने हेतु कार्यो के पहचान के बगैर तैयार किया गया था। श्रमिक बजट अत्यधिक विलम्ब से समर्पित किए गए थे तथा वे व्यवहारिक नहीं थे जिसके कारण प्रक्षेपित तथा वास्वविक माँग में काफी अंतर था। खर्च एवं मानव दिवस सृजन के सदंर्भ में मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम0पी0आर) तथा एम0आई0एस0 में बड़ा अन्तर था।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पंजीकृत मजदूरों को उनके मांग के आधार पर 100 दिनों का निश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसको पूरा नहीं किया गया क्योंकि एक से सात प्रतिशत परिवारों को ही मात्र 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया था। आगे, वर्ष 2007–12 के दौरान परिवारों को कार्य उपलब्ध कराने का प्रतिशत 75 से घटकर 20 रह गया था। राज्य स्तर पर महिला श्रमिकों को मात्र 28 प्रतिषत कार्य उपलब्ध कराया गया था। कई मामलों में जिलों में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था तथा 17 से 660 दिनों के विलम्ब से भुगतान किया गया था। ग्राम पंचायत स्तर पर, शिकायत पंजी का संधारण नहीं किया गया था अतः इससे यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि श्रमिकों द्वारा कोई शिकायत किया गया तो उसको संज्ञान में लिया गया या नहीं।

राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के कार्यों के लिए अनुसूचित दर (एस0ओ0आर0) तैयार नहीं की थी तथा सबसे नीचे के प्राथमिकता वाले कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी तथा सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाले कार्यों को कम जगह दिया गया था। अव्यवहृत शेष अनुदान, एस0जी0आर0वाई मद में बचे शेष अनुदान की राशि का मनरेगा खाते में अंतरण नहीं किया जाना तथा कार्यों में मशीनों का अक्सर प्रयोग मानव दिवस सृजन को प्रभावित किया था।

इस योजना के तहत् की गई कार्यों को अन्य ग्रामीण योजना के तहत् की गई कार्यों के साथ क्रमवेशित नहीं किया गया था जिसके कारण मनरेगा का अन्य योजनाओं के साथ तालमेल बैठाने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

मुख्य अभिलेख यथा आवेदन पंजी, मस्टर रौल पंजी, परिसम्पदा पंजी एंव रोजगार पंजी संधारित नहीं थे। उक्त कमियाँ मनरेगा योजना के इच्छित उद्देश्यों के प्राप्ति में बाधक थी।

कार्य का पर्यवेक्षण राज्य तथा जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जवाबदेह व्यक्ति, संस्था को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया जिसके कारण योजना के क्रियान्वयन में कमियाँ पाई गई, सामान्य और आर0टी0आई0 शिकायतें (जिला एवं प्रखंड स्तर पर) का निपटारा समय पर नहीं किए जा रहे थे तथा 15 से 70 प्रतिषत तक शिकायतें निपटारा हेतु लंबित थे।

राज्य सरकार, आंतरिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ निर्माण तथा शिकायत निपटान हेतु लोकपाल की नियुक्ति में विफल रही थी। ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय सतर्कता एवं निगरानी समिति अधिकांश कार्यों के लिए गठित नहीं किया गया था और राज्य एवं जिला स्तर पर क्वालिटी मोनिटर को बहाल नहीं किए गए थे। ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत पंजी का संधारण नहीं किया गया था तथा सामाजिक अंकेक्षण सीमित कार्यों के लिए ही किया गया था। मनरेगा योजना से संबंधित मजदुरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित नहीं किया गया था।

स्थान : पटना
दिनांक : 01 मई, 2013

(पी.के.सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षक),
बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 मई, 2013

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक